

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: 55

दिनांक: 06-9-23

// रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश //

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(1)में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं स्नेहा जाखड आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा न्यायिक अधिकारीगण की प्रशासनिक कारणों से एवं आपसी सहमति के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: 51 दिनांक 31.08.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए तालिका में अंकित न्यायिक अधिकारी की माह सितम्बर, 2023 में निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01.	निधि शर्मा द्वितीय	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई, जिला- दौसा	07.09.2023
02	प्रीति सिंह	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या- 02 लालसोट जिला दौस	23.09.2023

नोट:-शेष आदेश यथावत रहेगा।

Smeh
(स्नेहा जाखड)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
- 04- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 05- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 06- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 07- सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 08- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा